**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर**

**क्रमांकः**— एफ.4(ई)(1)(6)एपीओ / अलेसे—III / 5518 **दिनांक** :— 08/06/2020

**अधीक्षण अभियन्ता**
**सार्वजनिक निर्माण विभाग,**
**वृत झुन्झुनूं।**

**विषयः**— श्री विनीत डारा कनिष्ठ लेखाकार की उपस्थिति के क्रम में ।

**संदर्भ** :— आपका आदेश कमांक 336—39 दिनांक 04.06.2020

**प्रसंग** :— कोषाधिकारी, झुन्झुनूं का पत्र कमांक 214 दिनांक 05.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा श्री विनीत डारा कनिष्ठ लेखाकार का मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 887 दिनांक 02.06.2020 के क्रम मे आपके संदर्भित आदेश के द्वारा कार्यमुक्त कर इस निदेशालय में अग्रिम उपस्थिति दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में लेख हैं कि श्री विनीत डारा, कनिष्ठ लेखाकार का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषप्रद नहीं हैं तथा राजकार्य में लापरवाही बरती जा रही हैं तो उनके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करें। किसी कार्मिक को केवल अनुशासनहीनता के मध्यनजर कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में श्री विनीत डारा, कनिष्ठ लेखाकार को पुनः आपके कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जा रहा हैं। श्री डारा को कार्यग्रहण करवाकर उपस्थिति रिपोर्ट भी इस निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें।

**(मुकुन्द सोहोनी)**
**निदेशक**

**क्रमांकः**— एफ.4(ई)(1)(6)एपीओ / अलेसे—III / 5518 **दिनांक** :— 08/06/2020

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः—**

1. कोषाधिकारी, झुन्झुनूं को उनके पत्र क्रमांक दिनांक 05.06.2020 के क्रम में प्रेषित कर लेख हैं कि श्री विनीत डारा, कनिष्ठ लेखाकार को पुनः अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत झुन्झुनूं में कार्य ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करे।
2. विनीत डारा, कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता हैं कि वह शीघ्र ही कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत झुन्झुनूं में उपस्थिति देवे।

**(शिल्पी कौशिक)**
**अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—III)**

**D drive/Data/Sas-3/S.A.S._III/2016/ Natani Ji/ lettar 144**

Scanned with CamScan